(वाद संख्या–2908/17)

25.11.2019

परिवादी, डॉ0 ब्रह्मदेव साह, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया उपस्थित हैं।

परिवादी को सुना।

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद मगध विश्वविद्यालय, बोधगया द्वारा उसे अवैध रूप से प्रधानाचार्य, एस0डी0 कॉलेज, कलेर (अरवल) के पद से दिनांक–01 दिसम्बर, 1999 को स्थानांतरित कर मुख्यालय में पदस्थापित करने के आलोक में विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा उसे अपमानित किये जाने के फलस्वरूप, पंद्रह लाख रुपये की क्षतिपूर्ति दिलाने हेतु लाया गया है। परिवादी का कथन है कि उक्त के संबंध में उसके द्वारा महामहिम कुलाधिपति को अभ्यावेदन दिया गया था जिसकी महामहिम द्वारा पूरी तरह सुनवाई कर महामहिम द्वारा उसके अभ्यावेदन को अस्वीकृत कर दिया गया। तत्पश्चात् समान आशय का परिवादी की ओर से प्रसंगाधीन परिवाद–पत्र, आयोग के समक्ष दाखिल किया गया है।

अब, जबकि महामहिम कुलाधिपति द्वारा समान आशय के परिवादी के अभ्यावेदन पर, उभय पक्ष को पूर्णरूपेण सुनकर, अस्वीकृत किया जा चुका है, तो ऐसी परिस्थिति में आयोग के स्तर पर परिवादी के समान आशय के परिवाद–पत्र पर कोई आदेश पारित किया जाना उचित नहीं रहेगा।

उक्त के आलोक में प्रसंगाधीन परिवाद–पत्र को बंद किया जाता है।

तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
कार्यकारी अध्यक्ष

सहायक निबंधक